

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.6(189)स्था/मुअजसं/2016/5073

जयपुर, दिनांक:- 26/10/16

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(189)मुअजसं/4680-86 दिनांक 06.10.2016 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीसलपुर परियोजना वृत्, देवली एवं उसके अधीन कार्यरत चारों खण्डों एवं सभी उपखण्डों को मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास (पश्चिम) बीकानेर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित करने के फलस्वरूप स्थानान्तरित वृत्/खण्डों का चार्ज निम्नांकित वृत्/खण्डों को देने हेतु तुरन्त प्रभाव से आदेशित किया जाता है:-

क्र.सं.	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	कार्यालय का नाम जिसको चार्ज देना है।
1.	अधीक्षण अभियन्ता, बिसलपुर सीएडी वृत्, टोंक	अधीक्षण अभियन्ता, बांध वृत्, बिसलपुर परियोजना देवली
2.	अधिशायी अभियन्ता, सीएडी खण्ड प्रथम देवली	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय बिसलपुर परि. देवली।
3.	अधिशायी अभियन्ता, सीएडी खण्ड तृतीय टोंक	अधिशायी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम बिसलपुर परियोजना टोंक
4.	अधिशायी अभियन्ता, सीएडी खण्ड-चतुर्थ टोंक	अधिशायी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम बिसलपुर परियोजना टोंक
5.	अधिशायी अभियन्ता, सीएडी गुण नियंत्रण खण्ड देवली	अधिशायी अभियन्ता, गुण नियंत्रण खण्ड जयपुर

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.6(189)स्था/मुअजसं/2016/5074-80

जयपुर, दिनांक:- 26/10/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. शासन सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास (पूर्व) जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास (पश्चिम) बीकानेर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास बिसलपुर परि. टोंक/बांध वृत्, बिसलपुर परि. देवली।
5. अधिशायी अभियन्ता, अधिशायी अभियन्ता, सीएडी खण्ड प्रथम देवली/ अधिशायी अभियन्ता, सीएडी खण्ड तृतीय टोंक/अधिशायी अभियन्ता, सीएडी खण्ड-चतुर्थ टोंक/अधिशायी अभियन्ता, सीएडी गुण नियंत्रण खण्ड देवली/अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय बिसलपुर परि. देवली/अधिशायी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम बिसलपुर परियोजना टोंक।
6. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक/स्टेनो वास्ते वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर/अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)/ (कार्य)/ (वियो) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राज. जयपुर।
7. स्थापन शाखा प्रथम/द्वितीय/तृतीय/बजट/लेखा/सामान्य/अति. शासन सचिव प्रकोष्ठ/ गोपनीय/दिशेष योजना/लीगल/लिटीगेशन/

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर।

1484
04-11-16